UPUN010002182009

IN THE COURT OF
Special Judge (Sc/St Act)
AT ,Unnao
(Presided Over by Ankita Shukla)
Spl Act.sc/st/300001/2009

1. **राज्य.....अभियोजक।**

प्रति

1. दिवाकर तिवारी पुत्र विनय कुमार
निवासी ग्राम शिवनगर थाना कोतवाली जिला उन्नाव।

.....अभियुक्त।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या- 01/2009
मु.अ.सं.- 4880/2008,
धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं०
एवं 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना- कोतवाली, जनपद- उन्नाव।

निर्णय

1. अभियुक्त दिवाकर तिवार के विरूद्ध मु.अ.सं.– 4880/2008 में थाना कोतवाली जिला उन्नाव की पुलिस ने धारा– 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व 3(1)10 एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया है, जिसके आधार पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है-

वादी नवीन कुमार द्वारा प्रभारी महोदय कोतवाली को प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थी नवीन कुमार पुत्र सोहनलाल धोबी निवासी मकान नं.–119/9 तकीनगर थाना कोतवाली जिला उन्नाव का है। ओवरब्रिज उन्नाव के निकट प्रार्थी की पूजा बेकरी के नाम से दुकान है। आज शाम लगभग साढ़े चार बजे प्रार्थी अपनी दुकान पर बैठा था तभी दिवाकर त्रिपाठी पुत्र नामालूम निवासी शिवनगर उन्नाव मूल निवासी सकन थाना पुरवा उन्नाव अपने तीन अन्य साथियों के साथ प्रार्थी की दुकान पर आया उक्त सभी लोग शराब के नशे में थे दिवाकर व उसके साथियों ने प्रार्थी की दुकान में पेस्टी व अन्य नमकीन खाया तथा कोल्ड ड्रिंक पिया जब प्रार्थी ने उक्त लोगो से पैसे मांगे तो दिवाकर व उसके साथियों ने तमंचे निकाल लिये तथा प्रार्थी को मारने पीटने लगे। प्रार्थी की दुकान पर मौजूद मनोज व सोनू जो कि प्रार्थी की दुकान में ही काम करते है तथा आस पास के अन्य दुकानदारो ने आकर प्रार्थी को बचाया लोगो के आ जाने पर उक्त हमलावर तंमचे लहराते हुये तथा मां बहन की गन्दी गन्दी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। उपरोक्त दिवाकर आये दिन प्रार्थी की दुकान पर आकर इस तरह की हरकत करता है तथा तमंचा दिखाकर प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देता है। दिवाकर गुण्डा व दबंग किस्म का व्यक्ति है प्रार्थी एक सीधा दुकानदार है उपरोक्त दिवाकर से प्रार्थी को जान माल का खतरा है। दिवाकर ने प्रार्थी को साले धोबी

कहकर अपमानित भी किया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्जकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

3- वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त दिवाकर तिवारी के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0- 4880/2008, धारा- 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व 3(1)10 एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट, में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसका खुलासा जी0 डी0 में किया गया। विवेचना संबंधित क्षेत्राधिकारी को सुपुर्द की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। नक्शा-नज़री तैयार किया गया तथा सभी आवश्यक साक्षीगण के बयान अंकित कर अभियुक्त दिवाकर तिवारी के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)10 एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट में प्रेषित किया गया।

4. इस वाद की पत्रावली को तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव, उन्नाव द्वारा दिनांक– 06.01.2009 को विचारण हेतु इस न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

5. न्यायालय द्वारा उपार्पित पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक–09.03.2009 को इस न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा– 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)X एस०सी०/एस०टी० एक्ट का आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार करते हुए विचारण की मांग की।

6- मौखिक साक्ष्य में अभियोजन पक्ष ने अपने कथानक के समर्थन में पी०डब्ल्यू०-1 वादी नवीन कुमार को परीक्षित कराया गया। इस स्तर पर बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता स्वीकार किये जाने के कारण अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

7- अभिलेखीय साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-2, जी.डी. को प्रदर्श क-3, गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क-4, मेडिकल रिपोर्ट को प्रदर्श क-5, नक्शा नजरी को प्रदर्श क-6 व आरोप पत्र को प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया है जो अभियुक्त द्वारा समस्त प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की गयी।

8– अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के धारा 313 द 0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किये गये। धारा 313 द 0 प्र 0 सं0 के बयान में अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा साक्षियों के बयानो को गलत बताया तथा मुकदमा रंजीशन चलाए जाने का कथन किया है तथा सफाई साक्ष्य न देते हुए अन्य कथन में मै निर्दोष हूँ।

9. मैनें विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

10. विशेष लोक अभियोजक की ओर से तर्क किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है तथा अभियुक्त को दण्डित किए जाने की याचना की गई।

11. जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्त को फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। अभियुक्त

द्वारा कोई अपराध नही किया गया है। साक्षियों के बयानों में घटना को लेकर विरोधाभाष है। अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है।

12. अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के आलोक में निर्णय हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किए जाते हैः–

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.10.2008 को समय लगभग 4.30 बजे, वहद स्थान वादी की दूकान पूजा बेकरी पर निकट ओवर ब्रिज शहर उन्नाव, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव में आपने वादी को लात घूसो व डण्डो से मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

2. क्या अभियुक्त द्वारा उपरोक्त, दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी को अपमानित करने के आशय से भद्दी-भद्दी गालियों देकर उनकी लोक शान्ति भंग की ?

3. क्या अभियुक्त द्वारा उपरोक्त, दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी को जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया ?

4. क्या अभियुक्त द्वारा उपरोक्त, दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी जो कि अनुसूचित जाति के है, को जाति सूचक भद्दी–भद्दी गालियाँ देते हुए लात घूसो व डण्डो से मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर अपराधिक अभित्रास कारित किया ?

13. उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के समर्थन में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी०डब्ल्यू०–1 नवीन कुमार** जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.10.2008 को समय लगभग 04.30 बजे मै अपनी दुकान पर बैठा था तभी दिवाकर त्रिपाठी अपने तीन अन्य साथियों के साथ मेरी दुकान पर आये। वे लोग शराब के नशे में थे। दिवाकर ने व उनके अन्य साथियों ने मेरी दुकान में पेस्टी व नमकीन खायी व कोल्ड ड्रिंग पी। तब मैने उन लोगो से पैसे मांगे उक्त लोगो तमंचे निकाल लिये और मुझे मारने पीटने लगे। मेरी दुकान पर मौजूद मनोज व सोनू वह मेरी ही दुकान पर काम करते है तथा आसपास के अन्य दुकानवाले ने आकर मुझे बचाया। उक्त लोग तमंचा लहराते हुये मां बहन की गंदी गंदी गालियां व जाति सूचक गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। अभियुक्त आये दिन मेरी दुकान पर आकर गन्दी गन्दी हरकते तथा तमंचा दिखाकर मुझे जान से मारने की धमकी देता हा। दिवाकर दबंग व गुण्डा किस्म का व्यक्ति है। दिवाकर मेरी जान को खतरा है। दिवाकर ने साले धोबी कहकर भी अपमानित किया था। यह प्रार्थना पत्र मैने कचहरी पे टाइप कराकर मैने स्वयं टाइप करके दिया था। मैने स्वयं पढ़कर अपने हस्ताक्षर किया। उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली कागज संख्या 4क/02 है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है उसकी मै पुष्टी करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। मेरी डाक्टरी जिला अस्पताल उन्नाव मे दूसरे दिन हुयी थी। पुलिस ने मेरा बयान लिया था। और घटना स्थल का निरीक्षण किया था। घटना स्थल का नक्शा नजरी मेरे समक्ष ही क्षेत्राधिकारी ने बनाया था। जो पत्रावली में कागज सं.6क है। इस संबंध में हमे सरकारी अनुदान मिला था।

14. साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि दुकान में बहुत भीड़ भाड़ थी। उसी भीड़ भाड़ में अचानक धक्का मुक्की से गिरने पे मुझे चोटे आ गयी थी। मै दिवाकर सिपाही को पहले से नही जानता था।

लोगो के बताने पे मैने दिवाकर का नाम लिखा दिया था। हाजिर अदालत मुल्जिम दिवाकर ने मेरे साथ स्वयं कोई मारपीट, गाली गलौज व जाति सूचक गालियां नही दी। यह बात मैने सी.ओ. साहब को बतायी थी।

15. पत्रावली में आरोप के अनुक्रम में चार अवधार्य बिन्दु विरचित किए गये है। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु एक ही साक्ष्य से सम्बन्धित है एवं घटना क्रम परस्पर सम्बन्धित है तथा उसके सम्बन्ध में साक्ष्य भी संयुक्त रूप से आए है। अतः साक्ष्यों की पुनरावृत्ति न हो ऐसी स्थिति मे चारो अवधार्य बिन्दु का विवेचन समग्र रूप से एक ही साथ किया जा रहा है।

साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष

16- उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपित अपराध जो घटना की तिथि को प्रवृत्त थे वे निम्न प्रकार से हैः-

धारा–323 भा०दं०सं० यह उपबन्धित करती है कि– जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–504 भा०दं०सं० यह उपबन्धित करती है कि– जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, यह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–506 भा०दं०सं० यह उपबन्धित करती है कि– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

एस.सी.एस.टी. एक्ट 3(1)10– यह उपबन्धित करती है कि– जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसकी अपमानित या अभित्रस्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास के कम की नहीं होगी किन्तु पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा।

17– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को हर मुकदमे को संदेह से परे साबित करना होता है इस मामले में अभियोजन के द्वारा तथ्य के प्रस्तुत कराये गये साक्षी वादी मुकदमा पी०डब्ल्यू०–1 के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयानों के आधार पर साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अपनी जिरह में अभियुक्त द्वारा किसी भी आरोपित धारा के अपराध किये जाने का साक्ष्य नही दिया है। जब वादी मुकदमा ने घटना से इंकार किया है। ऐसे में अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है। पत्रावली पर अभियुक्त द्वारा घटना कारित किये जाने तथा पत्रावली में संलग्न मेडिकल रिपोर्ट में दर्शित चोटे अभियुक्त द्वारा मार पीट कर कारित किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2017(3) क्रिमिनल 71 एस.सी. शुभलक्ष्मी बनाम कुमार गोस्वामी में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि गवाह अपनी जिरह में मुख्य परीक्षा से अलग बयान देता है तो वह विश्वसनीय नही मना जायेगा।** ऐसी स्थिति में उपरोक्त अवधार्य

बिन्दु इस आशय से निर्णीत किये जाते है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी आरोपित अपराध को स्थापित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण मे आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

18- उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य के विश्लेषण से यह न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियोजन अभियुक्त दिवाकर तिवारी पर अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त दिवाकर तिवारी के विरूद्ध विशेष सत्र परीक्षण सं0-01/2009 अन्तर्गत धारा-323,504, 506 भा0 द 0 सं0 व 3(1)10 एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट थाना कोतवाली जिला उन्नाव के आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1- अभियुक्त **दिवाकर तिवारी** को **विशेष सत्र परीक्षण सं0-01/2009, अन्तर्गत धारा- 323, 504, 506 भा0 द 0 सं0 व 3(1)10 एस 0 सी0 एस 0 टी0 एक्ट** थाना कोतवाली जिला उन्नाव के अधीन दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

2- अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामे एवं मुचलके निरस्त कर जामिनदारो को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3- अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह 20,000/-रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तत्काल दाखिल करें तथा यह अण्डरटेकिंग दे कि एक सप्ताह के अंदर धारा 437 ए द 0 प्र 0 सं0 के अनुपालन में 20,000/-रू0 का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करेंगे।

4. पी०डब्लू०-1 नवीन कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-383 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का संज्ञान लिया जाता है। प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी हो। कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करें।

दिनांक–22.08.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–02, उन्नाव।
आई०नं०– यू०पी० 06438

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित,दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–22.08.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–02, उन्नाव।
आई०नं०– यू०पी० 06438